

22/02/23

पत्रावली पेश हुई। प्राची स्वयं उपस्थित।
 प्राची पत्नील उपस्थित। प्राची स्वयं हाफिज
 उदालत हैं एवं इस आशय का प्रार्थना
 पत्र प्रस्तुत किया कि प्राची व अप्राची
 के बीच लोक उदालत की भावना से समझौता
 हो गया है। प्राची उक्त प्रकरण में कोई
 कार्यवाही नहीं चाहता है एवं मूल दवा
 भी विज्ञो कर लिया है। चूंकि प्राची प्राची
 पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।
 एवं प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञो खारिज
 करवाना चाहता है।

समील मुक

पद-प्राचार्य
 Sabul

अतः प्राची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
 जरिये विज्ञो खारिज किया जाता है।
 एवं प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा
 आदेश दिनांक 24/01/2023 स्तर द्वारा
 निरस्त किया जाता है।

प्रार्थना पत्र पत्रावली फौसल शुमार
 होकर हस्त जाहता दाखिल दफ्तर हो।
 नियमि आज दिनांक 22/02/2023 को
 सुनाया गया।

4 ✓

उपरवण्ड अधिकारी
 कोलायत जिला-बीकानेर